

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग  
चिकित्सा शिक्षा भवन – गोविन्द मार्ग जयपुर

क्रमांक – एफ.2(250) / डी.एम.ई / 2017 /१५५६

दिनांक : २४/४/२०१७

कार्यालय आदेश

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश संख्या (1) वि.स्वा. /2/2016 दिनांक 17-02-2016 के द्वारा नवीन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के फलस्वरूप नये आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों से सम्बद्ध जिला चिकित्सालय भीलवाडा, भरतपुर, डूंगरपुर, बाडमेंर, पाली, चुरू, सीकर एवं अलवर को निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किया गया है।

अतः राजकीय मेडिकल कॉलेजों के समान सभी नवीन मेडिकल कॉलेजों एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालयों का ओ.पी.डी. समय एक पारी में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

अतिरिक्त निदेशक (प्र.शा.) एवं  
पदेन शासन उप सचिव  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : –

1. विशिष्ट सहा. – मन्त्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज.जयपुर
2. निजी सचिव – प्रमुख शासन सचिव चिकि. एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर
3. निजी सचिव – शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा रा. जयपुर
4. जिलाधीश भीलवाडा, भरतपुर, डूंगरपुर, बाडमेंर, पाली, चुरू, सीकर एवं अलवर
5. शासन उप सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग (ग्रुप-1)
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक नवीन मेडिकल कॉलेज भीलवाडा, भरतपुर, डूंगरपुर, बाडमेंर, पाली, चुरू, सीकर एवं अलवर
7. अधीक्षक – जिला चिकित्सालय भीलवाडा, भरतपुर, डूंगरपुर, बाडमेंर, पाली, चुरू, सीकर एवं अलवर
8. मुख्य एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा, भरतपुर, डूंगरपुर, बाडमेंर, पाली, चुरू, सीकर एवं अलवर
9. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (प्र.शा.) एवं